ISSN - 2229-3620
UGC Approved, Journal No. - 48819
SHODH SANCHAR BULLETIN
Vol. 7, Issue 26, April - June 2017
Page Nos. 100-104
AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919-पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विस्तार

❑ डॉ0 किशोर कुमार*

शोध सारांश

भारतीयों को अगस्त घोषणा एवं मोंटेग्यू की यात्रा के उद्देश्य के महिमा मंडन से उम्मीदें थीं कि भारत में प्रतिनिधित्व एवं उत्तरदायी सरकार का नया युग प्रारंभ होगा, जो भारत के भावी इतिहास की कुंजी होगा किंतु जब यह योजना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट 8 जुलाई 1918 को जारी हुई तो इससे भारतीय जनमत को निराशा हुई क्योंकि इस रिपोर्ट में भारतीयों को जितने अधिकार दिए जाने की आशा बंधी थी, उससे कहीं कम दिए गए थे और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार पर कठोर सीमाएँ थी। साथ ही केंद्रीय स्तर पर सरकारी ढाँचा पूरी तरह नौकरशाही स्वरूप का था। उग्र राष्ट्रवादियों ने इस योजना को नितांत असंतोषजनक कहा, परंतु भारत और ब्रिटेन दोंनो के उदारवादी नेताओं ने इस योजना को सराहा।

मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 ने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की इच्छाओं और आकाँक्षाओं के विपरीत न केवल उत्तरदायी शासन की माँग को ठुकरा दिया था बल्कि विरोधाभासी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लागू कर अनेक राजनीतिक एवं संवैधानिक समस्याओं को स्थापित कर दिया। परिषद् में उत्तरदायित्व के अभाव ने भारतीय नेताओं (प्रतिनिधियों) को भी अनुत्तरदायी बना दिया तथा वे मात्र आलोचक बनकर रह गए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप देश में सांप्रदायिकता की भावना का तेज़ी से विस्तार हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सुधारों द्वारा उदारवादियों को खुश करने तथा उग्र विचारधारा वाले नेतृत्व को कुचलने की जो नीति अपनाई उसकी प्रतिक्रिया भी गति पकड़ रही थी। उदारवादी त्रिमूर्ति 'गोखले, दादाभाई नौरोजी तथा फिरोजशाह मेहता' की मृत्यु के पश्चात् नेतृत्व धीरे–धीरे गरम दल (उग्र एवं क्रांतिकारी विचारक) की ओर अग्रसर हो रहा था। इस दौरान आयरलैण्ड के Home Rule Movement से प्रेरणा लेकर लोकमान्य तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में होमरूल आंदोलन का आरंम्भ किया। कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने मुस्लिमों में भी राष्ट्रीय जागरण का संचार किया तथा वे अंग्रेज– विरोधी हो गए। परिणामस्वरूप कांग्रेस और लीग नजदीक आए। बंबई में लीग का अधिवेशन हुआ, तो इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया। लखनऊ में (1916) कांग्रेस–लीग समझौता हुआ। कांग्रेस ने पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया और इसके बदले में कांग्रेस की स्वराज्य की माँग का लीग ने समर्थन किया। 1916 का यह कांग्रेस–लीग समझौता, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से मशहूर है, भारत के राष्ट्रीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस समझौते के ज़रिए कांग्रेस ने सोचा था कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्णतया सहयोगी बना पाएंगे।1

प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) ने भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान की। युद्ध के दौरान युद्ध प्रयासों में भारतीयों का सहयोग पाने की आकाँक्षा से ब्रिटिश शासकों ने कुछ घोषणाएँ की, कि युद्ध समाप्ति के पश्चात् भारत की सांविधानिक समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से हल किया जाएगा। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेताओं ने भी सांविधानिक सुधारों की योजना बनाई। ये उदारवादी अभी तक उत्तरदायी सरकार की माँग तक नहीं पहुँचे थे, उन्होंने प्रस्तावित किया कि उन्हें स्वयं सरकार में हिस्सेदारी करनी चाहिए और प्रस्ताव जैसा कि देखा गया, वास्तविक उत्तरदायी सरकार से कुछ कम था।

20 अगस्त, 1917 की ऐतिहासिक घोषणा में मोंटेग्यू द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया गया। इसका महत्वपूर्ण पाठ इस प्रकार है 'सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है, प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने और ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने के प्रगतिशील दृष्टिकोण से स्वायत्तशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास की है ..। मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि इस नीति की प्रगति क्रमिक अवस्थाओं द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, जिन्हें

*एसोसिएट प्रोफेसर–इतिहास, कु0 मा0 राजकीय म0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner